भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

उच्चतर शिक्षा विभाग

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-505

उत्तर देने की तारीख-04/02/2026

उच्यतर शिक्षा के लिए ऋण

505 श्रीमती रंजीत रंजनः
श्रीमती फूलो देवी नेतमः

क्या ***शिक्षा*** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वित्त वर्षों के दौरान बैंक-वार तथा राज्य-वार प्राप्त शिक्षा ऋण आवेदनों की संख्या, स्वीकृत, अस्वीकृत तथा वापस लिए गए आवेदनों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत ऋण स्वीकृति और वास्तविक संवितरण के बीच मौजूद महत्वपूर्ण अंतर के कारणों का विश्लेषण किया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) संपार्श्विक-मुक्त सीमा से कम राशि के शिक्षा ऋणों के लिए अवैध रूप से संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष गारंटी की मांग से संबंधित प्राप्त शिकायतों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(घ) शिक्षा ऋण सुविधा के लिए बैंकों से औपचारिक रूप से सूचीबद्ध या संबद्ध उच्च शिक्षा संस्थानों की संख्या कितनी है; और

(ङ) क्या टियर-II और टियर-III शहरों में स्थित उच्च शिक्षा संस्थानों में शिक्षा ऋण सुविधा की दर अपेक्षाकृत कम पाई गई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री
(डॉ. सुकान्त मजूमदार)

(क) से (ङ): शिक्षा समवर्ती सूची में है और केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनों मिलकर इसके सुधार के लिए कार्य करते हैं। भारत सरकार ने नवंबर 2024 में पीएम-विद्यालक्ष्मी, एक नई केंद्रीय क्षेत्र योजना की शुरूआत की है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी छात्र को आर्थिक कठिनाइयों के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित न होना पड़े। इस योजना के अंतर्गत, उन सभी छात्रों को संपार्श्विक मुक्त और गारंटर-मुक्त शिक्षा ऋण प्रदान किया जाता है जो उच्च गुणवत्ता वाले उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) में योग्यता आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और जो शिक्षा ऋण प्राप्त करना चाहते हैं तथा इसके लिए कोई अधिकतम सीमा नहीं है। इसके अतिरिक्त, वार्षिक पारिवारिक आय वाले छात्रों के लिए 8 लाख रुपए तक की यह योजना 10 लाख रुपए तक के ऋण पर 3% ब्याज सब्सिडी प्रदान करती है। एक लाख तक नए छात्रों को, जिन्हें कोई अन्य छात्रवृत्ति या शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी नहीं मिल रही है, इस योजना के अंतर्गत यह ब्याज सब्सिडी प्रदान की जाएगी।

समर्पित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीएम-विद्यालक्ष्मी पोर्टल https://pmvidyalaxmi.co.in विकसित किया गया है जिस पर सभी बैंकों द्वारा उपयोग की जाने वाली एक सहल आवेदन प्रक्रिया के माध्यम से शिक्षा ऋण के साथ-साथ ब्याज सब्सिडी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस पोर्टल का संचालन दिनांक 25 फरवरी 2025 से शुरू हुआ। दिनांक 25 फरवरी 2025 से 28 जनवरी 2026 के बीच, 57,000 से अधिक पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण स्वीकृत किए गए हैं। स्वीकृत राशि 7395 करोड़ रुपए है। प्राप्त, स्वीकृत, अस्वीकृत तथा छात्रों द्वारा आवश्यक जानकारी के अभाव में वापस लिए गए/बंद किए गए/लंबित शिक्षा ऋण आवेदनों की संख्या राज्य-वार और बैंक-वार https://www.education.gov.in/en/parl_ques पर उपलब्ध है।

दिनांक 25 फरवरी 2025 को पोर्टल को लाइव करते हुए पोर्टल पर दिनांक 28 जनवरी 2026 तक 25,622 शिकायतें प्राप्त हुई हैं जिनमें से 23,924 शिकायतों का समाधान कर दिया गया है। इन शिकायतों में से 9 शिकायतें, जो पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के अंतर्गत संपार्श्विक या तृतीय-पक्ष गारंटी की मांग से संबंधित हैं, एक-एक शिकायत उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना से और तीन शिकायतें कर्नाटक से हैं। इन 9 ऋण आवेदनों में से 4 को स्वीकृत कर दिया गया है और राशि संवितरित कर दी गई है।

पीएम-विद्यालक्ष्मी योजना के अंतर्गत कुल 952 गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा संस्थानों (क्यूएचईआई) को शामिल किया गया है। यह टियर-II और टियर-III शहरों के छात्रों सहित सभी छात्रों पर लागू है जो इन क्यूएचईआई में योग्यता-आधारित प्रवेश प्राप्त करते हैं और अपनी उच्च शिक्षा के लिए पीएम-विद्यालक्ष्मी शिक्षा ऋण प्राप्त करने के इच्छुक हैं।

*****

अनुलग्नक

"उच्च शिक्षा हेतु ऋण'" के संबंध में श्रीमती रंजीत रंजन और श्रीमती फूलो देवी नेतम द्वारा दिनांक 04.02.2026 को पूछे गए राज्यसभा अतारांकित प्रश्न संख्या 505 के (क) और (ङ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

दिनांक 25.2.2025 से 28.01.2026 तक बैंक वार ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्राप्त आवेदन	बंद/वापस लिए गए/छात्र द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लंबित आवेदनो की संख्या	बैंक में प्रक्रियाशील आवेदन	संस्वीकृत आवेदन	खारिज किए गए आवेदन
1	अभ्युदय सहकारी बैंक लिमिटेड	1	0	1	0	0
2	आंध्र प्रदेश ग्रामीण बैंक	142	33	62	44	3
3	एक्सिस बैंक	352	66	282	1	3
4	बैंक ऑफ बड़ौदा	6025	1427	480	3779	339
5	बैंक ऑफ इंडिया	2758	945	232	1515	66
6	महाराष्ट्र बैंक	1104	315	36	721	32
7	बिहार ग्रामीण बैंक	4	0	4	0	0
8	केनरा बैंक	13097	2381	444	9121	1151
9	सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया	4149	989	277	2856	27
10	छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण बैंक	5	3	2	0	0
11	सिटी यूनियन बैंक	59	27	20	9	3
12	धनलक्ष्मी बैंक लिमिटेड	8	2	2	4	0
13	फेडरल बैंक	85	15	69	0	1
14	एचडीएफ़सी बैंक	196	176	20	0	0
15	हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक	2	1	1	0	0
16	आईसीआईसीआई बैंक	200	160	39	1	0
17	आईडीबीआई बैंक	565	83	157	324	1
18	आईडीएफ़सी बैंक लिमिटेड	19	8	11	0	0
19	इंडियन बैंक	2588	1362	228	993	5
20	इंडियन ओवरसीज़ बैंक	1247	409	101	701	36
21	जलगाँव जनता सहकारी बैंक लिमिटेड	2	0	0	2	0
22	जम्मू एंड कश्मीर बैंक लिमिटेड	284	107	68	109	0
23	कर्नाटक बैंक	142	26	88	22	6
24	कर्नाटक ग्रामीण बैंक	144	39	84	17	4
25	करूर वैस्य बैंक	64	35	13	7	9
26	केरल ग्रामीण बैंक	56	8	6	38	4

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्राप्त आवेदन	बंद/वापस लिए गए/छात्र द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लंबित आवेदनो की संख्या	बैंक में प्रक्रियाशील आवेदन	संस्वीकृत आवेदन	खारिज किए गए आवेदन
27	कोटक महिंद्रा बैंक	55	41	1	0	13
28	मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक	1	0	1	0	0
29	महाराष्ट्र ग्रामीण बैंक	16	4	4	6	2
30	ओड़ीशा ग्रामीण बैंक	3	0	3	0	0
31	पुडुवै भारतीयर ग्राम बैंक	1	0	0	0	1
32	पंजाब एंड सिंध बैंक	166	36	44	76	10
33	पंजाब ग्रामीण बैंक	20	6	0	14	0
34	पंजाब नेशनल बैंक	7881	2948	305	4118	510
35	राजस्थान ग्रामीण बैंक	14	3	3	8	0
36	आरबीएल बैंक	3	2	0	0	1
37	सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक	12	0	10	2	0
38	साउथ इंडियन बैंक	65	18	30	15	2
39	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया	49310	11380	2652	29302	5976
40	तमिलनाडु ग्रामा बैंक	7	1	3	3	0
41	तमिलनाडु मर्केंटाइल बैंक	21	2	11	4	4
42	तेलंगाना ग्रामीण बैंक	21	3	4	9	5
43	नैनीताल बैंक लिमिटेड	2	0	2	0	0
44	सरस्वत सहकारी बैंक लिमिटेड	1	0	0	1	0
45	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	2	0	2	0	0
46	यूको बैंक	901	143	91	615	52
47	यूनियन बैंक ऑफ इंडिया	5114	1836	215	3018	45
48	उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक	15	4	8	2	1
49	उत्तराखंड ग्रामीण बैंक	5	1	4	0	0
50	पश्चिम बंगाल ग्रामीण बैंक	1	0	1	0	0
51	येस बैंक लिमिटेड	20	9	11	0	0
कुल		**96955**	**25054**	**6132**	**57457**	**8312**

दिनांक 25.2.2025 से 28.01.2026 तक बैंक वार ब्यौरा

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्राप्त आवेदन	बंद/वापस लिए गए/छात्र द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लंबित आवेदनो की संख्या	बैंक में प्रक्रियाशील आवेदन	संस्वीकृत आवेदन	खारिज किए गए आवेदन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	71	21	7	32	11
2	आंध्र प्रदेश	7577	1541	419	5010	607
3	अरुणाचल प्रदेश	36	17	2	16	1
4	असम	1495	441	114	784	156
5	बिहार	6193	1910	424	3377	482
6	चंडीगढ़	231	72	8	132	19
7	छत्तीसगढ़	820	160	35	558	67
8	दिल्ली	5057	1324	248	3138	347
9	गोवा	198	44	8	129	17
10	गुजरात	1976	422	88	1320	146
11	हरियाणा	3885	1038	269	2250	328
12	हिमाचल प्रदेश	797	173	48	513	63
13	जम्मू एंड कश्मीर	524	166	75	258	25
14	झारखंड	3452	930	225	2053	244
15	कर्नाटक	5597	1558	486	3030	523
16	केरल	4635	983	303	2899	450
17	लद्दाख	5	1	0	4	0
18	लक्षद्वीप	2	1	1	0	0
19	मध्य प्रदेश	3881	840	185	2552	304
20	महाराष्ट्र	8349	2009	503	5170	667
21	मणिपुर	134	50	20	50	14
22	मेघालय	125	21	13	81	10
23	मिज़ोरम	47	23	1	15	8
24	नागालैंड	58	15	3	29	11
25	ओड़ीशा	3350	676	199	2130	345
26	पुडुचेरी	196	66	19	99	12

क्र.सं.	बैंक का नाम	प्राप्त आवेदन	बंद/वापस लिए गए/छात्र द्वारा आवश्यक जानकारी उपलब्ध कराने के लिए लंबित आवेदनो की संख्या	बैंक में प्रक्रियाशील आवेदन	संस्वीकृत आवेदन	खारिज किए गए आवेदन
27	पंजाब	1886	465	102	1185	134
28	राजस्थान	4443	1093	220	2745	385
29	सिक्किम	21	7	0	12	2
30	तमिलनाडु	10128	3134	864	5168	962
31	तेलंगाना	3583	957	176	2126	324
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	40	8	3	26	3
33	त्रिपुरा	175	37	25	102	11
34	उत्तर प्रदेश	13182	3686	787	7462	1247
35	उत्तराखंड	1532	331	70	1017	114
36	पश्चिम बंगाल	3274	834	182	1985	273
कुल		**96955**	**25054**	**6132**	**57457**	**8312**